झारखण्ड सरकार

राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :— रा0खा0आ0 (वि /2018 (भाग—2)— 842

प्रेषक,

नरेश प्रसाद केव
अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक:— 16.12.2021

विषय:— **आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किये जाने हेतु इससे संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग:— आयोग का पत्रांक—647 दिनांक—16.09.2021। Pg - 134/C

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि आयोग के प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयांकित मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम—2013 की धारा—16 (6—च) के आलोक में आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किये जाने हेतु निम्न बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन/आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था:—

1. वर्तमान में राज्य में कुल संचालित जन वितरण प्रणाली केन्द्रों की संख्या (जिलावार)।
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम—2013 के तहत् जन वितरण प्रणाली से आच्छादित लाभुकों/परिवारों की अद्यतन संख्या।
3. पूर्विकता प्राप्त गृहस्थों (Priority Households) एवं अन्त्योदय अन्न योजना (AAY) से आच्छादित लाभुकों/परिवारों की जिलावार अद्यतन संख्या।
4. PVTG योजना से आच्छादित परिवारों/लाभुकों की जिलावार संख्या।
5. स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित PDS दुकानों की जिलावार संख्या।
6. Covid-19 के दौरान संचालित किये गये कार्यक्रम/योजना से संबंधित विवरणी।

उपरोक्त प्रतिवेदन/आंकड़े आयोग को अब तक अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन आयोग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

16/12/2021

(नरेश प्रसाद केवट)
अवर सचिव
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता—झारखण्ड ...के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची—834002
email-jl...sion@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261